Regarding issues pertaining to Chandigarh Municipal Corporation

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदया, चंडीगढ़ एक केन्द्रशासित प्रदेश है । यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है । वहां अप्रैल, 2025 को चंडीगढ़ में संपत्ति कर और कलेक्टर रेट को तीन गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसका कारण यह बताया जाता है कि चंडीगढ़ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिवालिया निकला हुआ है ।

सभापति महोदया, वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार से, केन्द्रीय बजट से चंडीगढ़ को साल के 6100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं । दिल्ली फाइनैंस कमीशन के फॉर्मुले के तहत 30 प्रतिशत पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाना चाहिए, जो 1700-1800 करोड़ रुपए बनते हैं ।

इनको महज़ 570 करोड़ रुपये दिए जाते हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फार्मूले के अधीन म्युनिसिपल कार्पोरेशन का जो पैसा बनता है, 1700-1800 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए । संपत्ति कर बढ़ाकर कलेक्टर रेट बढ़ाकर लोगों पर जो बोझ डाला जा रहा है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए ।